प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर 290/22 थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022 20/7/2022

प्र. इ. रि. स. ..... दिनांक .....

2. (अ) अधिनियम ... .धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
   (ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 376 समय 6:00 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 31.05.2022.... . .....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 31.05.2022 .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पूर्व 27 किमी .....
   (ब) पता – पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर..... जरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.... श्री महिपाल.....
   (ब) पिता का नाम श्री हरिराम .....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 34 साल.....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
   (ल) पता ... निवासी काली डूंगरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल वर्मा बलाई जाति बलाई उम्र 37 साल निवासी ग्राम सीताराम रामपुरा पोस्ट लामियां वाया व थाना खाटूश्याम जी तहसील दातारामगढ जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नम्बर 2306 पुलिस थाना मदन गंज जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)....

सेवा में,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर

विषयः कानिस्टेबल सुरेश द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे भाई महेन्द्र पुत्र श्री हरिराम चौधरी निवासी काली डूंगरी तहसील किशनगढ के विरूद्व पुलिस थाना मदनंगज में 169/2022 दर्ज है। इस मुकदमें का अनुसंधान श्री उगमाराम ए.एस.आई. द्वारा किया जा रहा है दिनांक 27/05/2022 को मेरे भाई व अन्य दो लोगो की जमानत पुलिस थाने से ही हो गई थाने का कानिस्टेबल सुरेश इस मुकदमे में जमानत के नाम पर मेरे से दस हजार रूपये की मांग कर रहा है मैने उसे कहा की जमानत तो नियमानुसार हुई है सुरेश ने कहा कि जमानत में मदद की है तथा आगे भी इस मुकदमे में मदद करेगें इसलिये खर्चा पानी तो देना ही पडेगा। मैने उससे बात की तो वह जमानत देने वाले श्री बद्री चावला की मोटर साईकिल की आर.सी की फोटो कॉपी लेकर आने के बहाने से मिलकर मेरे से रिश्वत लेना चाहता है मै सुरेश कानिस्टेबल को रिश्वत नही देना चाहता हूं मेरे भाई के विरूद्व दर्ज प्रकरण मे मेरे द्वारा ही सारी कार्यवाही की गई है। यदि मै सुरेश को रिश्वत राशी नही दूंगा तो हमें जानबूझकर तंग कर सकता है। मै सुरेश को रिश्त लेते हुऐ पकडवाना चाहता

हूं। कृपया कार्यवाही करें। दिनांक 31/05/2022 प्रार्थी–एस–डी महिपाल जाट मोबा न. 7689038562

कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर

दिनांक 31.05.2022 समय 11.35 ए.एम.

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री महिपाल पुत्र श्री हरिराम चौधरी जाति जाट उम्र 34 साल निवासी काली डूंगरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को सम्बोधित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। अग्रिम कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सम्पादित करते हुये परिवादी से दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र मे लिखे सही होना स्वीकार कर प्रार्थना पत्र स्वंय की लेखनी मे होकर स्वंय के हस्ताक्षर होना अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि प्रकरण संख्या 169/2022 जो मेरे भाई व अन्य तीन लोगो के विरूद्व पुलिस थाना मदनगंज मे साधारण मारपीट का ही प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें जमानत के प्रावधान होने से थाने पर उनकी नियमानुसार जमानत हो गई इसके बावजूद भी सुरेश कानिस्टेबल दस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। पूछने पर बताया कि मेरी सुरेश से किसी प्रकार का कोई उधार का लेनदेन नही है और नाही किसी प्रकार की रंजिश है। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत करवाया तो परिवादी ने बताया कि मै आज ही जाकर सुरेश से रिश्वत के सम्बन्ध मे बातचीत कर सकता हूं। जिस पर कानिस्टेबल श्री रविन्द्र सिंह नम्बर 308 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात कानि0 श्री रविन्द्र सिंह से कार्यालय की अलमारी में से वायॅस रिकॉर्डर व नया खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 31.05.2022 समय 12.20 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह को वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु पुलिस थाना मदनगंज किशनगढ के लिये रवाना किया गया। दिनांक 31.05.2022 समय 03.00 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 व परिवादी श्री महिपाल कार्यालय मे उपस्थित आये। श्री रविन्द्र सिंह ने वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से हम दोनो मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना मदनगंज से थोडा दूर पहुंचे। रविन्द्र जी ने मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया मै पुलिस थाना मदनगंज गया जंहा पर मुझे थाने पर सुरेश कानिस्टेबल मिला मैने उससे रिश्वत के सम्बन्ध मे बात की तो उसने कहा कि जो भी लाया है वो रख दे, उसके पास मोटर साईकिल थी वो मोटर साईकिल मे रूपये रखवाना चाह रहा था। मैने उसे कहा कि अभी तो कुछ नही है मै सरगांव जा रहा हूं। उसने कहा कि पहले जाकर फिर आ जाता। जाकर आ रहा हूं तो उसने मुझे साईड मे खडे हुये ठेले की तरफ ईशारा कर कहा कि जो लाओ वंहा पर देकर चले जाना। हमारे बीच हुई वार्ता टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हो गई। मै पुलिस थाना से रवाना होकर रविन्द्र जी के पास आया। रविन्द्र जी ने वायॅस रिकॉर्डर अपने पास लेकर रख लिया तथा साईड मे जाकर उसमें दर्ज वार्ता को सुना। श्री रविन्द्र सिंह ने परिवादी के बताये तथ्यो की ताईद की। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा पेश शुदा रिकॉर्डर को चालू करके सुना तो उसमें परिवादी के कथनो की ताईद हुई। वार्ता में परिवादी द्वारा आरोपी को कहा गया कि दस तो ज्यादा है जिस पर आरोपी स्थानिय भाषा में कहता है कि क्या लाये हो , तु क्या लेकर आया इसके अन्दर रख ले तथा जो लेकर आये वो ठेले वाले लडके को देकर चले जाना। इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने की ताईद हुई है। दिनांक 31.05.2022 समय 04.00 पीएम पर आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के नाम तहरीर लिखी जाकर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 31.05.2022 समय 04.45 पीएम पर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय मे उपस्थित आये तथा स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम इन्दोरिया पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 47 साल निवासी 170 ज्ञान विहार कॉलोनी बीके कॉल नगर अजमेर। हाल सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर व श्री पुरूषोत्तम चौहान पुत्र श्री रामगोपाल चौहान जाति माली उम्र 50 साल निवासी 1128 प्रगति नगर कोटडा जिला अजमेर हाल सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को हमराह लेकर उपस्थित आये,जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया। परिवादी व गवाहान का आपस मे परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा दिखाया गया। प्रार्थना पत्र पर गवाहो द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात वायॅस रिकॉर्डर मे दर्ज वार्ता को चालू करके गवाहान को सुनाया गया। गवाहो से आगामी कार्यवाही मे

स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर पर गवाहो द्वारा अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। वायॅस रिकॉर्डर मे से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड निकालकर मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा तथा एक नया मैमोरी कार्ड लेकर उसे वायॅस रिकॉर्डर मे डाला जाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 31.05.2022 समय 05.40 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल को रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 2000–2000 रूपये के तीन नोट व पांच पांच सौ रूपये के दो नोट कुल 7000 रूपये पेश करते हुये बताया कि मेरे पास अभी सात हजार रूपयो की ही व्यवस्था है सुरेश मेरे से 7000 हजार रूपये भी ले लेगा क्योंकि दोपहर मे वो कह रहा था कि जो भी लाया है वो दे दे। जिस पर उक्त पेश शुदा नोटो का विवरण अकिंत कर नोटो पर कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर मंगवाया जाकर उक्त नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से लगवाया गया। परिवादी श्री महिपाल की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुए उक्त पाउडरयुक्त नोट श्री किरण कुमार से रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 31.05.2022 समय 06.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री श्याम इन्दोरिया, श्री पुरूषोत्तम, एसीबी स्टॉफ के श्री गोविन्द कानि नम्बर 01, श्री त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24, मेरे प्राईवेट वाहन से, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94, श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, श्री ईशाक मोहम्मद कानि नम्बर 40, श्री रविन्द्र कानि नम्बर 308, मय लैपटॉप प्रिन्टर,वायॅस रिकॉर्डर,ट्रेप बॉक्स आदि के मदनंगज किशनगढ के लिये रवाना हुये। परिवादी स्वंय की मोटर साईकिल से रवाना हुआ। दिनांक 31.05. 2022 समय 6.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना मदनगंज से कुछ देर पहले पहुंचे वाहनो को साईड मे खडा करवाया। दिनांक 31.05..2022 समय 06.45 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल भी अपनी मोटर साईकिल से उपस्थित आया। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 31.05.2022 समय 07.00 पीएम पर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से चालू कर सुपुर्द करवाया जाकर पुलिस थाना मदनगंज के लिये रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना मदनगंज के आसपास ही अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुआ। दिनांक 31.05.2022 समय 7.25 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा किये कानि श्री रविन्द्र के साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया तथा मेरे द्वारा वायॅस प्राप्त किया गया जिसे रविन्द्र द्वारा परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर लिया था। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास रवाना होकर थाने के बाहर की तरफ गया जंहा मैने मेरे मिलने वाले सिपाही जितेन्द्र को थाने के बाहर की तरफ बुला लिया उसके बाद करके थाना परिसर में प्रवेश किया तो उगमाराम जी मिल गये उनसे सुरेश के बारे मे मैने पूछा तो उन्होने सुरेश का अन्दर ही होना बताया। मै थाने के अन्दर सुरेश जी जंहा बैठते है उस कमरे मे चला गया। सुरेश जी थाने में नही थे तो मैने उगमाराम जी को बताया। उगमाराम जी मेरे से बात करके थोडा साईड में गये तथा शायद सुरेश जी से मोबाईल पर बात करके थोडी देर बाद मेरे पास आये तथा मेरे से बातचीत की। मैने उगमा राम जी को हाथो के इशारो से पैसो का कहा तो उन्होने हाथ के ईशारो से ही मना कर दिया। मै थाने से रवाना होकर आ गया तथा रिकॉर्डर रविन्द्र जी को दे दिया। इस दौरान मेरी आप से दो तीन बार मोबाईल फोन भी बातचीत हुई थी। दिनांक 31.05.2022 समय 7.35 पीएम पुलिस थाना मदनगंज के आसपास एसीबी कार्यवाही की भनक लगने की सम्भावाना के मध्य नजर परिवादी व हमराहीयान को हमराह लेकर वाहनो से बस स्टेण्ड किशनगढ की तरफ रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बस स्टेण्ड किशनगढ पहुंचा। परिवादी ने बताया कि आज सुरेश नही मिला इसलिये रिश्वत का आदान प्रदान ही हुआ। एक दो दिन मे सुरेश मेरे से सम्पर्क कर सकता है। वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो रिश्वत राशि बाबत किसी प्रकार का कोई वार्तालाप दर्ज होना नही पाया गया। परिवादी से रिश्वत राशि एक सफेद लिफाफे मे प्राप्त कर सुरक्षित रखी गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि जैसे ही सुरेश कानिस्टेबल द्वारा सम्पर्क किया जावे तो अविलम्ब सूचित करें। दिनांक 31.05.2022 समय 08.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान तथा एसीबी स्टॉफ के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुआ। परिवादी को भी रूख्सत किया गया। दिनांक 31.05.2022 समय 09.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान तथा एसीबी स्टॉफ के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर पहुंचा। गवाहान को मोबाईल चालू रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। वायॅस

रिकॉर्डर व रिश्वत राशि को मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 01.06.2022 समय 12.15 पीएम तक परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित नही आने के कारण श्री रविन्द्र द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो परिवादी से किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नही हो सका। दिनांक 02.06.2022 को श्री रविन्द्र सिंह ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि उसके पास परिवादी महिपाल का फोन आया तथा उसने बताया कि कानिस्टेबल सुरेश ने उसके भाई की डेयरी की दुकान पर जाकर भाई के मोबाईल फोन से मेरे बात की तथा मुझे डेयरी पर मिलने का बताया तो मैने कहा कि मै अभी तो नीन्द से उठा हूं एक दो घण्टे मे मिलता हूं तो सुरेश ने दो घण्टे मे मिलने की कहा। जिस पर मेरे द्वारा श्री रविन्द्र को निर्देश दिये कि स्वतन्त्र गवाहो तथा स्टॉफ के सदस्यो को मोबाईल फोन कर अविलम्ब कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करे। एसीबी स्टॉफ कार्यालय मे उपस्थित है। गवाहान के आने का इन्तजार है। दिनांक 02.06.2022 को समय 10.45 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम इन्दोरिया तथा श्री पुरूषोत्तम कार्यालय मे उपस्थित आये। दिनांक 02.06.2022 समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखी हुई रिश्वत हैड कानि. श्री कैलाश चारण को सम्भलाई गई। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अलमारी मे से निकालकर मैने मेरे पास सुरक्षित रखा। दिनांक 02.06.2022 समय 11.10 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री गोविन्द कानि नम्बर 01, श्री त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24, मेरे प्राईवेट वाहन से, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94, श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, श्री रविन्द्र कानि नम्बर 308, मय लैपटॉप प्रिन्टर,वायॅस रिकॉर्डर,ट्रेप बॉक्स आदि के मदनंगज किशनगढ के लिये रवाना हुये। परिवादी को बस स्टेण्ड किशनगढ के सामने उपस्थित होने की हिदायत जरिये मोबाईल फोन दी गई। दिनांक 02.06.2022 समय 11.50 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय मय हमराहीयान के बस स्टेण्ड किशनगढ के सामने पहुंचा वाहनो को साईड मे खडा करवाया जाकर परिवादी के आने के इन्तजार मे मुकीम हुआ। परिवादी मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि "सुबह कानिस्टेबल सुरेश मेरे भाई की दूध डेयरी पर आया था तथा मेरे भाई के मोबाईल पर मेरे से बात कर पहले तो मुझे डेयरी पर आने का कहा तथा मेरे द्वारा उसे कहा गया कि मै अभी नीन्द से उठा ही हूं तथा दो घण्टे मे मिलने की कहा। मै तैयार होकर आपके पास मिलने आ रहा था इस दौरान मेरे भाई की दूध डेयरी की दुकान पर गया तो मेरे भाई ने कहा कि सुरेश सिपाही सुबह आया तथा मोबाईल पर आपसे बात करने के बात मुझसे कह रहा था कि मुझे महिपाल से नही मिलना है तथा उससे कोई बाद नही करनी है। वो अब मेरे से सम्पर्क नही करे" परिवादी ने आगे बताया कि कानिस्टेबल सुरेश को एसीबी कार्यवाही की भनक लग गई है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त चार–पांच और लोगो को भी पता था कि मैने एसीबी मे सुरेश की शिकायत की है उसमें से एक दो लोग उसके मिलने वाले भी थे। इसलिये वो अब मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासंकिप्ट बनाने हेतु साथ ही अजमेर चलने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि उसे आज आवश्यक कार्य से पीलवा नागौर जाना है इसलिये वह एक दो दिन में एसीबी कार्यालय मे उपस्थित हो जायेगा। दिनांक 02.06.2022 समय 12.40 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना होकर एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित आया। स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व रिश्वत राशि मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखी। दिनांक 10.06.2022 समय 12.20 पीएम पर परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि वह एक घण्टे मे कार्यालय मे उपस्थित हो जायेगा। जिस पर स्वतन्त्र गवाहो को जरिये मोबाईल कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत दी गई। गवाहो व परिवादी के उपस्थित आने पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व वायॅस रिकॉर्डर निकाला जाकर मैमोरी कार्ड को वायॅस रिकॉर्डर मे डाला गया। दिनांक 10.06.2022 समय 01.30 पीएम पर परिवादी महिपाल व स्वतन्त्र गवाहान श्री श्याम इन्दोरिया तथा पुरूषोत्तम की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड थी। उक्त वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर शब्द–ब–शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसकिप्ट श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 से तैयार करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी कमशः अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपी हेतु तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क "एम" अंकित किया गया।

सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 10.06.2022 समय 03.45 पीएम पर परिवादी महिपाल व स्वतन्त्र गवाहान श्री श्याम इन्दोरिया तथा पुरूषोत्तम की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 को परिवादी महिपाल व श्री उगमा राम सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड अलमारी मे निकाला जाकर उसे वायॅस रिकॉर्डर मे डाला जाकर दर्ज वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर शब्द–ब–शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसकिप्ट श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 से तैयार करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी क्रमशः अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपी हेतु तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क "एम–1" अंकित किया गया। परिवादी को रूबरू गवाहान रिश्वत राशि 7000 रूपये बाद प्राप्ति रसीद लौटाई गई। परिवादी व गवाहो को बाद कार्यवाही रूख्सत किया गया। जब्तशुदा मैमोरी कार्ड व आरोपी की डीवीडी को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया है आरोपी श्री सुरेश कानिस्टेबल नम्बर 2306 पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री महिपाल पुत्र श्री हरिराम चौधरी जाति जाट उम्र 34 साल निवासी काली डूंगरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर के भाई के विरूद्व पुलिस थाना मदनंगज जिला अजमेर मे दर्ज प्रकरण संख्या 169/2022 में परिवादी के भाई की ली गई जमानत की एवज तथा प्रकरण में आगे मदद करने की नाम पर दस हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 31.05.2022 को दौरान रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी द्वारा दस हजार रूपये ज्यादा होना बोलने पर आरोपी द्वारा जो भी लेकर आया वो मोटर साईकिल में रखने कहना तथा बाद मे जो भी लेकर आये वो ठेले वाले को देने हेतु कहा गया जो आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित करना पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल वर्मा बलाई जाति बलाई उम्र 37 साल निवासी ग्राम सीताराम रामपुरा पोस्ट लामियां वाया व थाना खाटूश्याम जी तहसील दातारामगढ जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नम्बर 2306 पुलिस थाना मदन गंज जिला अजमेर के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे प्रेषित है।

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री सुरेश कुमार वर्मा, कानि. नम्बर 2306, पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 290/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2544-48 दिनांक 20.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

20.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।